"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 मार्च 2010—फाल्गुन 11, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 2 मार्च, 2010 (फाल्गुन 11, 1931)

क्रमांक-2595/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010), जो दिनांक 26 फरवरी, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 8 सन् 2010)

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 9 की उपधारा (8) में शब्द "जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु तक,जो भी पहले हो पद धारण करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (10) में शब्द "चार वर्ष की अवधि के लिये" के स्थान पर "पांच वर्ष की अवधि के लिये" प्रतिस्थापित किया जाए.

निरसन.

4. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 की धारा (9) की उपधारा (8) में प्रथम कुलपति की दो वर्ष तक की नियुक्ति का प्रावधान था. इस प्रावधान को पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा "दो वर्ष" के स्थान पर "पांच वर्ष" किया गया, लेकिन उक्त अधिनियम, 2004 की धारा (9) की उपधारा (10) में निम्नलिखित प्रावधान है.

धारा 9 (10) "कुलपति चार वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा."

2. पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति दो वर्ष के लिये की गई जिसे उक्त संशोधन के तहत् पांच वर्ष के लिये किया गया. वस्तुत: स्थिति यह है कि प्रथम कुलपति 70 वर्ष की आयु उपरान्त भी पद धारण करने अथवा पद धारण नहीं करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है. अत: धारा (9) की उपधारा (8) में संशोधन आवश्यक है ताकि धारा 9 (8) एवं धारा 9 (10) में एकरूपता हो.

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ से प्राप्त पत्रों को दृष्टिगत रखते हुए कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष किया जाना चाहिए. अतएव धारा 9 (10) का संशोधन प्रस्तावित है.

4. उपरोक्त प्रावधान शामिल करने वाला पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) निरसित करने का प्रस्ताव है.

5. राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं होने के कारण पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009 दिनांक 15-10-2009 को जारी किया गया था.

6. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

तारीख 10 फरवरी, 2010

हेमचंद यादव
उच्च शिक्षा मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 9 का उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 9 (8) राज्य शासन एक शिक्षाविद् की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर करेगा जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी तथा ऐसा नियुक्त व्यक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की तारीख के छ: मास के भीतर कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन करें, और उक्त प्राधिकारियों का गठन होने तक कुलपति यथास्थिति कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् या ऐसा प्राधिकारी समझा जायेगा और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन ऐसे प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरूपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा.

परन्तु कुलाधिपति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो वह राज्य सरकार से परामर्श करने के पश्चात् तीन सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा जिसमें एक शिक्षाविद्, एक प्रशासनिक विशेषज्ञ तथा वित्तीय विशेषज्ञ होगा, कुलपति को उसकी शक्तियों का प्रयोग करने में तथा कृत्यों का पालन करने में सहायता एवं सलाह देगी.

धारा 9 (9) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी उपलब्धियां एवं सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी.

धारा 9 (10) कुलपति चार वर्ष की अवधि तक अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारण करेगा और वह दो से अधिक पदावधियों के लिये नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

परन्तु उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाए और वह अपना पद ग्रहण न कर ले, किन्तु यह कालावधि किसी भी दशा में छ: मास से अधिक नहीं होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.